



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 42]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 13, 2017/माघ 24, 1938

No. 42]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 13, 2017/MAGHA 24, 1938

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 2017

सरकारी मुक्त डेटा अनुज्ञासि-भारत

राष्ट्रीय डेटा साझाकरण और अभिगम्यता नीति

सं. 8 (2)/2013-ईजी- I.— 1. प्रस्तावना

मुक्त फॉर्मेट में उपलब्ध ढांचागत डेटा और सार्वजनिक पहुंच और प्रयोग की मुक्त अनुज्ञासि को सामान्य रूप से “मुक्त डेटा” के तौर पर परिभाषित किया जाता है और समकालीन विविध में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। डेटा आधुनिक शासन के मूल्यवान संसाधनों में से एक संसाधन है जिसके साझाकरण से इसका विविध प्रकार से और गैर विशिष्ट ढंग से वाणिज्यिक और गैर-वाणिज्यिक दोनों प्रयोजनों के लिए प्रयोग सुगम रूप से किया जा सकता है। तथापि अनुज्ञासि यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि ऐसे डेटा का न तो दुरुपयोग किया जा सके या न गलत रूप से इसका निर्वचन किया जा सके (उदाहरण के लिए समुचित आरोपण पर बल द्वारा) तथा यह भी सुनिश्चित करने के लिए कि सभी प्रयोक्ताओं को इस डेटा का प्रयोग करने का समान और स्थायी अधिकार है।

भारत में मुक्त सरकारी डेटा पहल की शुरुआत 17 मार्च 2012¹ को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संघ सरकार के समक्ष प्रस्तुत की गई राष्ट्रीय डेटा साझाकरण और अभिगम्यता नीति (एनडीएसएपी) की अधिसूचना से हुई। एनडीएसएपी ने इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीईआईटीवाई) को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के माध्यम से नीति कार्यान्वयन के लिए नोडल विभाग के तौर पर विहित किया है, जबकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग नीतिगत मामलों के लिए नोडल विभाग बना रहेगा। नीति के अनुपालन में, मुक्त सरकारी डेटा प्लेटफॉर्म इंडिया को 2012² में आरंभ किया गया था।

जबकि नीति के कार्यान्वयन के लिए समुचित मुक्त फॉर्मेट और संबंधित पक्षों को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र³ द्वारा गठित अंतर-मंत्रालयी कार्यबल द्वारा तैयार “एनडीएसएपी कार्यान्वयन दिशानिर्देशों” में परिभाषित किया गया है। डेटा सेटों के लिए मुक्त अनुज्ञासि जिनका प्रकाशन एनडीएसएपी और ओजीडी प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया गया है जो अब तक विनिर्दिष्ट नहीं हैं।

2. परिभाषाएँ

- (क) “डेटा” से सूचना⁴ का प्रतिनिधित्व, संख्यात्मक संकलन और अवलोकन, दस्तावेज़, तथ्य, मानचित्र, बिब, चार्ट, तालिका और आंकड़े, डिजिटल और/या एनालॉग रूप में संकल्पनाओं के प्रदर्शन के साथ-साथ मेटा डेटा⁵ से डेटा और/या डेटा प्रदाता/प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराए गए स्पष्टीकरण टिप्पण जिनके बिना संबंधित डेटा का निर्वचन या उसे प्रयोग नहीं किया जा सकता के विषय में पूरी सूचना अभिप्रेत है।⁶
- (ख) “डेटा प्रदाता” से ऐसा व्यक्ति जो इस अनुज्ञासि के अधीन डेटा प्रकाशित और उपलब्ध करा रहे हैं, अभिप्रेत है।

¹ विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय 2012. राष्ट्रीय डेटा साझाकरण और अभिगम्यता नीति (एनडीएसएपी) 2012. भारत का राजपत्र। मार्च 17. <http://data.gov.in/sites/default/files/NDSAP.pdf>.

² देखें: <https://data.gov.in/>.

³ राष्ट्रीय डेटा साझाकरण और अभिगम्यता नीति के लिए कार्यान्वयन दिशानिर्देश की धारा 3.2 देखें।

⁴ एनडीएसएपी, 2012 की धारा 2.7 देखें।

⁵ एनडीएसएपी, 2012 की धारा 2.1 देखें।

⁶ एनडीएसएपी, 2012 की धारा 2.6 देखें।

- (ग) “अनुज्ञासि” से यह दस्तावेज अभिप्रेत है।
- (घ) “अनुज्ञासि प्रदाता” से कोई ऐसा डेटा प्रदाता जिसके पास इस अनुज्ञासि की शर्तों के अधीन संबंधित डेटा देने के लिए प्राधिकार है, अभिप्रेत है।
- (ड.) “अनुकूलन” से ऐसे कार्य का ऐसा प्रयोग जिसमें उसका पुनर्विन्यास या परिवर्तन सम्मिलित है, अभिप्रेत है⁷।
- (च) “प्रकाशन” से किसी भी माध्यम या प्राप्त रूप में जनता के लिए प्रतियां जारी करके या किसी भी माध्यम से कार्य को जनता को संसूचित करना है, अभिप्रेत है⁸।
- (छ) “प्रयोग” केवल विधिक प्रयोजनों के लिए है जिसमें अध्ययन, कौपी, वितरण, अनुवाद, का मूल्यवर्धन करना, का अनुकूलन करना, डेटा से कार्य (उत्पाद और सेवाएं) का सृजन करना और वास्तविक और व्युत्पन्न कार्य का प्रकाशन, इस अनुज्ञासि के उपबंधों के अध्याधीन शामिल है।
- (ज) “प्रयोक्ता” से सामान्य अथवा विधिक व्यक्तियों या व्यक्तियों का निगमित निकाय या निगम अभिप्रेत है, जो इस अनुज्ञासि के अंतर्गत डेटा के अधिकार प्राप्त करता है (याहे डेटा डेटा प्रदाता (प्रदाताओं) से सीधे प्राप्त किया गया हो अथवा अन्यथा प्राप्त किया गया हो)।
- (झ.) “अधिकार कथन” से इस अनुज्ञासि के अधीन प्रकाशित किए जाने वाले डेटा के सभी प्रयोक्ताओं द्वारा प्रकाशित की जाने वाली मानक सूचना जिसमें सम्बद्ध डेटा के प्रदाता, स्त्रोत और अनुज्ञासि है, अभिप्रेत है⁹।
- (झ.) “निजी सूचना” से ऐसी कोई भी सूचना जो या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या उपलब्ध किसी अन्य सूचना के साथ या निकाय निगम के पास उपलब्ध होने की संभावना वाली, ऐसे किसी भी वास्तविक व्यक्ति की पहचान करने में सक्षम हो, अभिप्रेत है¹⁰।

3- डेटा का अनुज्ञेय प्रयोग

भारत सरकार की राष्ट्रीय डेटा साइआकरण और अभिगम्यता नीति (उनडीएसएपी) का आदेश जो ऐसे असंवेदनशील डेटा पर लागू होता है जिसे साझा किया जा सकता है और जो डिजिटल या एनालॉग रूप में उपलब्ध है परन्तु जिसे भारत सरकार के विभिन्न अधिकारणों द्वारा दी गई जननिधि का उपयोग कर तैयार किया गया है और जो दस्तावेज की धारा 4 और 7 के अंतर्गत सूचीबद्ध शर्तों के अध्याधीन है के अनुसार सभी प्रयोक्ताओं को सभी विधिक वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक उद्देश्यों से और डेटा या सूचना पर ऐसे अधिकार की उपस्थिति की अवधि के लिए व्युत्पन्न कार्यों को प्रयोग करने, अपनाने, प्रकाशित करने (वास्तविक, अनुकूलित और/या व्युत्पन्न रूप में) अनुवाद करने, प्रदर्शित करने, मूल्यवर्धन करने और सृजित करने के लिए एक विश्वव्यापी, रॉयलटी मुक्त, गैर विशिष्ट अनुज्ञासि उपलब्ध कराई गई है।

4- डेटा के प्रयोग की शर्तें और निबन्धन

- (क) अधिकार: प्रयोक्ता, विशेष रूप से अधिकार विवरण के प्रकाशन द्वारा डेटा के प्रदाता, स्त्रोत,¹¹ और अनुज्ञासि को स्वीकार करें जिसमें संबंधित डेटा का डीओआई (डिजिटल ऑड्जेक्ट आइडेंटिफायर) या यूआरएल (युनिफ़र्म रिसोर्स लोकेटर) या यूआरआई (युनिफ़र्म रिसोर्स आइडेंटिफायर) सम्मिलित हैं।“
- (ख) गुणक डेटा का अधिकार: यदि प्रयोक्ता गुणक डेटा का प्रयोग साथ-साथ कर रहा है और/या गुणक डेटा के स्त्रोतों की सूची बनाना संभव नहीं है तो प्रयोक्ता ऐसे अन्य पृष्ठ/सूची के लिंक उपलब्ध कराए जिनमें प्रयोग किए गए पूरे डेटा के अधिकार विवरण और विशिष्ट यूआरएल/यूआरआई सम्मिलित हों।
- (ग) पृष्ठांकन न होना: प्रयोक्ता किसी भी स्थिति में यह इग्निट न करे या न सुझाए कि डेटा प्रदाता अपने प्रयोग और/या प्रयोक्ता को पृष्ठांकित करे।
- (घ) वारंटी न होना: डेटा प्रदाता किसी भी प्रकार की ट्रिउटों या चूकों के लिए दायी नहीं है और किसी भी प्रकार की परिस्थितियों में इसके प्रयोग या इस अनुज्ञासि या डेटा से जुड़े किसी प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, विशेष, आकस्मिक, परिणामी या किसी नुकसान, चोट के लिए दायी नहीं होगा यदि उसे ऐसी हानि, चोट या नुकसान की संभावना के विषय में विशेष रूप से सलाह भी दी जाए। किन्हीं भी प्रकार की परिस्थितियों में प्रयोक्ता डेटा प्रदाता को i) डेटा की चूक या त्रुटि और/या ii) किसी एप्लीकेशन/उत्पाद/सेवा (किसी महत्वपूर्ण विधि के उल्लंघन समेत) के भाग के तौर पर डेटा के प्रयोग के कारण किसी अवांछनीय परिणामों के लिए डेटा प्रदाता/प्रदाताओं को उत्तरदायी नहीं ठहराएगा।
- (ङ) उपबंध की निरंतरता: अद्यतन रूप में उपलब्ध होने पर संबंधित डेटा को निरंतर रूप से अद्यतन करने के लिए डेटा प्रदाताओं में प्रतिस्पर्धा होगी। चूंकि संबंधित डेटा के अद्यतन और अद्यतन- संस्करण की निरंतर आपूर्ति की डेटा प्रदाता गारंटी नहीं देता (देते) है/हैं और यदि अद्यतन डेटा की निरंतर आपूर्ति नहीं की जाती है तो ऐसे मामले में उन्हें जवाबदेह नहीं ठहराया जाएगा।

5- अधिकार विवरण के लिए टैपलेट

जब तक कि प्रयोक्ता अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य डेटा साइटेशन फार्मेट का प्रयोग करते हुए डेटा का साइटेशन नहीं करता है, तब तक निम्नलिखित फार्मेट में किसी अधिकार नोटिस में विशेष रूप से निम्नलिखित उद्धरण सम्मिलित किया जाना चाहिए।¹²

“[डेटा प्रदाता का नाम], [प्रकाशन का वर्ष], [डेटा का नाम], [डेटा भण्डार/वेबसाइट का नाम], [संस्करण संख्या और/या प्रकाशन तिथि (तारीख/मास)], [डीओआई/यूआरएल/यूआरआई]। [अनुज्ञासि का नाम]: [अनुज्ञासि का यूआरएल] के अधीन प्रकाशित।”

उदाहरण के लिए :

“सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, 2015, भुगतान का समग्र भुगतान, मुक्त सरकारी डेटा प्लेटफॉर्म भारत, 08/09, <https://data.gov.in/catalog/overall-balance-payments>. (अनुज्ञासि का नाम): (अनुज्ञासि का यूआरएल)” के अधीन प्रकाशित।

7 कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 2 (क) (V) देखें http://www.copyright.gov.in/Documents/CopyrightRules_1957.pdf.

8 9 अधिकार विवरण का टैपलेट अनुज्ञासि की धारा 5 में दिया गया है।

10 सूचना प्रौद्योगिकी (उपयुक्त सुरक्षा प्रक्रियाएं और पद्धतियां तथा संवेदनशील निजी डेटा या सूचना) नियमावली, 2011 की धारा 2 (i) देखें। [http://meity.gov.in/sites/upload_files/dit/files/GSR13E_10511\(1\).pdf](http://meity.gov.in/sites/upload_files/dit/files/GSR13E_10511(1).pdf).

11 अधिकार विवरण का टैपलेट इस दस्तावेज की धारा 5 में दिया गया है।

12 उदाहरण के लिए डेटासाइट, क्रोसरेक और अन्य द्वारा विकसित डीओआई साइटेशन फार्मेट दूल में जो सूचीबद्ध हैं : <http://crosscite.org/citeproc/>.

6- छूटें

इस अनुज्ञासि में निम्न प्रकार के डेटा सम्बलित नहीं हैं:-

(क) निजी सूचना

(ख) ऐसा डेटा यह कि डेटा असाझीकृत और/या संवेदी है जिसके लिए डेटा प्रदाता द्वारा अनुज्ञासि दिया जाना प्राधिकृत नहीं है;¹³

(ग) डेटा प्रदाता के नाम, लोगो (प्रतीक चिन्ह) तथा अन्य सरकारी संकेत;

(घ) अन्य बौद्धिक संपदा अधिकार के अधीन डेटा जिनमें सम्बलित हैं पेटेंट, व्यापार-चिन्ह तथा सरकारी चिन्ह;

(ङ) सैनिक पद;

(च) पहचान दस्तावेज; और

(छ) सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 के अंतर्गत प्रदान की गई पृष्ठभूमि के लिए किसी भी प्रकार के आंकड़े को आम जानकारी के लिए प्रकट नहीं किया जाए;¹⁴

7. समापन

क. निर्धारित शर्तों और विनियमों का पालन नहीं करने पर प्रयोगकर्ता के अधिकार का हनन होता है और अनुज्ञासि के अंतर्गत स्वतः समाप्त हो जाता है।

ख. जबकि उपर्युक्त प्रयोगकर्ताओं के अधिकारों के डेटा का प्रयोग समाप्त कर दिया गया था, उन अधिकारों को पुनः स्थापित किया जाएगा:

I. जैसा कि आज की तारीख में उल्लंघन का निदान हो चुका है, उल्लंघन का पता लगाने पर 30 दिन के अंदर स्वतः इसका निदान हो जाता है; अथवा

II. डेटा प्रदाता (प्रदाताओं) द्वारा त्वरित पुनः स्थापित किए जाने पर।

ग. डेटा प्रदाता (प्रदाताओं) द्वारा यह अवधारित किए जाने पर कि एक विशेष डेटा सेट प्रकाशित कर दिया गया है, जिसमें इस दस्तावेज के खण्ड-6 में सूचीबद्ध एक अर्थवा विविध प्रकार के डेटा सम्बलित हैं, तो डेटा प्रदाता (प्रदाताओं) उस डेटा के लिए अनुज्ञासि की प्रयोजनीयता समाप्त कर सकता (सकते) हैं और इस प्रकार के निलम्बन हेतु इस अनुज्ञासि की धारा-3 के अंतर्गत प्रदत्त सभी अधिकार रद्द हो जाएंगे, जिसमें सार्वजनिक अभिगम से संबंधित डेटा सेट का तत्काल प्रत्याहार, परन्तु इतना ही नहीं सम्बलित होगा।

घ) संदेह से बचने के लिए यह धारा इस अनुज्ञासि के उल्लंघन हेतु डेटा प्रदाता (प्रदाताओं) द्वारा किए जाने वाले अपेक्षित उपायों से संबंधित कोई भी अधिकार प्रभावित नहीं करती है।

8- विवाद समाधान तंत्र

इस अनुज्ञासि के संदर्भ में होने वाले किसी विवाद और/या अभिमत में हुए मतभेदों का निपटान संघ के विधि संचय द्वारा नियुक्त मध्यस्थ द्वारा किया जाएगा।

9- शासित विधि

यह अनुज्ञासि भारतीय विधि द्वारा शासित की जाती है।

आर.के.सुधांशु, संयुक्त सचिव और ग्रुप प्रमुख (ई-शासन)

13 एनडीएसएपी, 2012 की धारा 2.10 और 2.11 देखें

14 <http://rti.gov.in/webactri.htm>.

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY NOTIFICATION

New Delhi, the 10th February, 2017

**Government Open Data License - India
National Data Sharing and Accessibility Policy**

F.No. 8(2)/2013-EG-I.— 1. Preamble

Structured data available in open format and open license for public access and use, usually termed as “Open Data,” is of prime importance in the contemporary world. Data also is one of the most valuable resources of modern governance, sharing of which enables various and non-exclusive usages for both commercial and non-commercial purposes. Licenses, however, are crucial to ensure that such data is not misused or misinterpreted (for example, by insisting on proper attribution), and that all users have the same and permanent right to use the data.

The open government data initiative started in India with the notification of the National Data Sharing and Accessibility Policy (NDSAP), submitted to the Union Cabinet by the Department of Science and Technology, on 17th March 2012.¹

1 Ministry of Science and Technology. 2012. National Data Sharing and Accessibility Policy (NDSAP) 2012. *Gazette of India*. March 17. <http://data.gov.in/sites/default/files/NDSAP.pdf>.

The NDSAP identified the Department of Electronics & Information Technology (DeitY) as the nodal department for the implementation of the policy through National Informatics Centre, while the Department of Science and Technology continues to be the nodal department on policy matters. In pursuance of the Policy, the Open Government Data Platform India was launched in 2012.²

While, the appropriate open formats and related aspects for implementation of the Policy has been defined in the “NDSAP Implementation Guidelines” prepared by an inter-ministerial Task Force constituted by the National Informatics Centre,³ the open license for data sets published under NDSAP and through the OGD Platform remained unspecified till now.

2. Definitions

- a. **“Data”** means a representation of information⁴, numerical compilations and observations, documents, facts, maps, images, charts, tables and figures, concepts in digital and/or analog form, and includes metadata,⁵ that is all information about data, and/or clarificatory notes provided by data provider(s), without which the data concerned cannot be interpreted or used.⁶
- b. **“Data Provider(s)”** means person(s) publishing and providing the data under this license.
- c. **“License”** means this document.
- d. **“Licensor”** means any data provider(s) that has the authority to offer the data concerned under the terms of this license.
- e. **“Adaptation”** means any use of such work involving its re-arrangement or alteration.⁷
- f. **“Publication”** means making a work available to the public by issue of copies, or by communicating the work to the public, in any medium or format.⁸
- g. **“Use”** only for lawful purposes includes studying, copying, distribution, translation, value-addition to, adaptation of, creating derivative works (products and services) from the data, and publication of original and derived works, subject to the provisions of this License.
- h. **“User”** means natural or legal persons, or body of persons corporate or incorporate, acquiring rights in the data (whether the data is obtained directly from the **data provider(s)** or otherwise) under this license.
- i. **“Attribution Statement”** means a standard notice to be published by all users of data published under this license that contains the details of the provider, source, and license of the data concerned.⁹
- j. **“Personal Information”** means any Information that relates to a natural person, which, either directly or indirectly, in combination with other Information available or likely to be available with a body corporate, is capable of identifying such person.¹⁰

3. Permissible Use of Data

² See: <https://data.gov.in/>.

³ See section 3.2 of the Implementation Guidelines for National Data Sharing and Accessibility Policy (NDSAP) Version 2.2. https://data.gov.in/sites/default/files/NDSAP_Implementation_Guidelines_2.2.pdf.

⁴ See Section 2.7 of NDSAP, 2012.

⁵ See Section 2.1 of NDSAP, 2012.

⁶ See Section 2.6 of NDSAP, 2012.

⁷ See Section 2 (a) (v) of the Copyright Act, 1957. <http://www.copyright.gov.in/Documents/CopyrightRules1957.pdf>.

⁸ See Section 3 of the Copyright Act, 1957.

⁹ The template of the attribution statement is given in section 5 of the license.

¹⁰ See section 2 (i) of Information Technology (Reasonable Security Practices and Procedures and Sensitive Personal Data or Information) Rules, 2011. [http://meity.gov.in/sites/upload_files/dit/files/GSR313E_10511\(1\).pdf](http://meity.gov.in/sites/upload_files/dit/files/GSR313E_10511(1).pdf).

Following the mandate of the National Data Sharing and Accessibility Policy (NDSAP) of Government of India that applies to all shareable non-sensitive data available either in digital or analog forms but generated using public funds by various agencies of the Government of India, and subject to the conditions listed under section 4 and 7 of this document, all **users** are provided a worldwide, royalty-free, non-exclusive license to **use, adapt, publish** (either in original, or in adapted and/or derivative forms), translate, display, add value, and create derivative works (including products and services), for all lawful commercial and non-commercial purposes, and for the duration of existence of such rights over the data or information.

4. Terms and Conditions of Use of Data

- a. **Attribution:** The **user** must acknowledge the provider, source, and license of data by explicitly publishing the attribution statement,¹¹ including the DOI (Digital Object Identifier), or the URL (Uniform Resource Locator), or the URI (Uniform Resource Identifier) of the data concerned.
- b. **Attribution of Multiple Data:** If the **user** is using multiple data together and/or listing of sources of multiple data is not possible, the **user** may provide a link to a separate page/list that includes the attribution statements and specific URL/URI of all data used.
- c. **Non-endorsement:** The **user** must not indicate or suggest in any manner that the **data provider(s)** endorses their use and/or the **user**.
- d. **No Warranty:** The **data provider(s)** are not liable for any errors or omissions, and will not under any circumstances be liable for any direct, indirect, special, incidental, consequential, or other loss, injury or damage caused by its use or otherwise arising in connection with this license or the data, even if specifically advised of the possibility of such loss, injury or damage. Under any circumstances, the **user** may not hold the **data provider(s)** responsible for: i) any error, omission or loss of data, and/or ii) any undesirable consequences due to the use of the data as part of an application/product/service (including violation of any prevalent law).
- e. **Continuity of Provision:** The **data provider(s)** will strive for continuously updating the data concerned, as new data regarding the same becomes available. However, the **data provider(s)** do not guarantee the continued supply of updated or up-to-date versions of the data, and will not be held liable in case the continued supply of updated data is not provided.

5. Template for Attribution Statement

Unless the user is citing the data using an internationally accepted data citation format,¹² an attribution notice in the following format must be explicitly included:

“[Name of Data Provider], [Year of Publication], [Name of Data], [Name of Data Repository/Website], [Version Number and/or Date of Publication (dd/mm)], [DOI / URL / URI]. Published under [Name of License]: [URL of License].”

For example:

“Ministry of Statistics and Programme Implementation, 2015, Overall Balance of Payments, Open Government Data Platform India, 08/09, https://data.gov.in/catalog/_overall-balance-payments. Published under [Name of License]: [URL of License].”

6. Exemptions

The license does not cover the following kinds of data:

- a. Personal Information;

¹¹ The template of the attribution statement is given in section 5 of this document.

¹² For example, those listed in the DOI Citation Formatter tool developed by DataCite, CrossRef and others: <http://crosscite.org/citeproc/>.

- b. Data that the **data provider(s)** is not authorized to license, that is data that is non-shareable and/or sensitive;¹³
- c. Names, crests, logos and other official symbols of the data provider(s);
- d. Data subject to other intellectual property rights, including patents, trade-marks and official marks;
- e. Military insignia;
- f. Identity documents; and
- g. Any data that should not have been publicly disclosed for the grounds provided under Section 8 of the Right to Information Act, 2005.¹⁴

7. Termination

- a. Failure to comply with stipulated terms and conditions will cause the **user's** rights under this license to end automatically.
- b. Where the **user's** rights to use data have terminated under the aforementioned clauses or any other Indian law, these rights will be reinstated:
 - i. automatically, as of the date the violation is cured, provided it is cured within 30 days of the discovery of the violation; or
 - ii. upon express reinstatement by the **data provider(s)**.
- c. Upon determination by the **data provider(s)** that a specific data set has been published that includes one or multiple kinds of data listed in section 6 of this document, the **data provider(s)** may terminate the applicability of the **license** for that data, and this termination will have the effect of revocation of all rights provided under Section 3 of this **license**, including but not limited to immediate retraction of the data set concerned from public access.
- d. For avoidance of doubt, this section does not affect any rights the **data provider(s)** may have to seek remedies for violation of this license.

8. Dispute Redressal Mechanism

Any difference of opinion and/or dispute arising out of this **license** may be referred to the arbitrator appointed by the union law secretary.

9. Governing Law

This **license** is governed by Indian law.

R.K. SUDHANSU, Jt. Secy. and Group Coordinator (e-Governance)

¹³ See Sections 2.10 and 2.11 of NDSAP, 2012.

¹⁴ See: <http://rti.gov.in/webactri.htm>.